

भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय सहायक खान नियंत्रक

(दयानन्द उपखण्ड)

23.09.2022

भवदीय

03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होना पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियांत्रिकी दायर किया जा सकता है।
04. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की सीमा खनन संक्रियण बंद की जा सकती है।
05. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का आतिशोध सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सौंपित करें।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	The following deviations were observed against the proposal of approved Review of Mining Plan, which was approved vide letter no. राजनाद/नौहै/खयो-1126/2017-रायपुर, dated 14.12.2017: The OB/waste dump was proposed in northern corner of the lease between the grids E1400 to E1800. However it is observed during inspection that OB/waste dump has been extended along the boundary line BP-1 to BP-6 against the approved proposal.

महोदय
आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 27/08/2022 को अधीक्षक निरीक्षक श्री नीरज ठाकुर, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।
एच ओ डी माइंस की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज

श्री पी. के. जैन, पूर्वांकालिक निदेशक और मनोनीत मालिक
भेसर्स सारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड,
औद्योगिक विकास केंद्र, केन-1, सिलवासा
रायपुर, छत्तीसगढ़ - 493111
विषय- छत्तीसगढ़ राज्य राजनादखान खान में स्थित आपकी खान/बोर नौहै अयस्क खदान, 80.71 है. में
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

फाइल संख्या - CHG/RNG/Fe-1 खान कोड 30CHG15001 दिनांक 23/09/2022

भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590/ 95, ईमेल - to.raipur@ibm.gov.in



Speed post/Email

राजि. ए. डी.

उल्लंघन पत्र

प्रतिलिपि-संचालक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. खान निदेशक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नारायण 440001 -

Email-com.cz@ibm.gov.in

2. संचालक ऑफिसी एवम खानिकर्स, खानिस्ताइ इंड्रवाली भवन दारितीय नल डी ब्लोक, कानिदल कोम्प्लेक्स, नया रायपुर, खानिस्ताइ- Email dgm.cg@gov.in

भारतीय खान ब्यूरो
राष्ट्रिय संचालक खान निदेशक